भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 48A/2016-17

निमु माझी **बनाम** कापरा रानी हेम्ब्रम

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
09.10.17	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 708 दिनांक 13.09.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 48 A/2016–17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता निमु माझी पिता–स्व0 भादव माझी ग्राम–गमदेसाई थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला –खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता कापरा रानी हेम्ब्रम, पति–बैकुंठ नाथ हेम्ब्रम ग्राम–गमदेसाई, थाना–राजनगर जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
गमदेसाई	154	54	1043	0.20 एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि में विक्रेता स्वंय जमावंदी रैयत है। विक्रेता अपने हिस्से की अंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक के हिस्से में कुल 3.80 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.20 एकड़ भूमि बिकी करने के पश्चात 3.60 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जिला के निवासी है तथा जाति 'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा कें आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.20 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

9/10/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।